भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) का कार्यालय

हिमाचल प्रदेश, शिमला-171003

हिमाचल प्रदेश सरकार से सम्बंधित भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के वर्ष 2024-25 के लिए राज्य के वित्त पर प्रतिवेदन (राज्य के वित्त पर प्रतिवेदन) पर

प्रेस विज्ञप्ति

हिमाचल प्रदेश सरकार से सम्बंधित भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के वर्ष 2024-25 के लिए राज्य के वित्त पर प्रतिवेदन [2026 की रिपोर्ट संख्या 02 (राज्य के वित्त पर प्रतिवेदन)] भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के प्रावधानों के अनुसार तैयार किया गया है। प्रतिवेदन 24.03.2026 को हिमाचल प्रदेश सरकार को भेजा गया था। प्रतिवेदन 03.09.2026 को हिमाचल प्रदेश विधानसभा के पटल पर रखा गया है।

इस प्रतिवेदन में तीन अध्याय समाविष्ट हैं और यह वर्ष 2024-25 के लिए राज्य के वित्त, बजटीय प्रबंधन और राज्य सरकार के लेखों की गुणवत्ता का एक अवलोकन प्रस्तुत करता है। इसके अतिरिक्त, यह प्रतिवेदन राज्य सरकार की ऋण प्रास्थिति व उधार लेने के पैटर्न, विभिन्न वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं और वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित निर्देशों के अनुपालन, तथा राज्य के वित्त से जुड़े अन्य प्रासंगिक मामलों की भी समीक्षा करता है।

मुख्य निष्कर्ष:

वृहद-राजकोषीय प्रदर्शन एवं राजस्व प्रवृत्तियां

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान राज्य की अर्थव्यवस्था में मध्यम वृद्धि प्रदर्शित हुई, जिसमें विगत वित्तीय वर्ष की तुलना में सकल राज्य घरेलू उत्पाद ने 9.20 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में राज्य का योगदान 0.70 प्रतिशत रहा। विगत पांच वर्षों में इस योगदान में गिरावट आई है, जो राज्य के लिए चिंता का विषय है।

हमने देखा कि उच्च कर संग्रह, विशेष रूप से वस्तु एवं सेवा कर व केंद्रीय कर हस्तांतरण में वृद्धि के कारण राज्य की राजस्व प्राप्तियों में 4.34 प्रतिशत की वृद्धि हुई। कर-भिन्न राजस्व में 22.40 प्रतिशत की मामूली वृद्धि रही तथा केंद्र के अनुदानों में गिरावट आई। राज्य के स्व-

राजस्व प्रदर्शन में सुधार हुआ है फिर भी केंद्रीय अनुदान सहायता पर बहुत अधिक निर्भरता बनी हुई है।

व्यय, घाटे एवं देयताएं

राज्य के व्यय में राजस्व व्यय की उच्च वृद्धि, विशेष रूप से प्रतिबद्ध लागत व सब्सिडी (राजस्व प्राप्तियों का 86 प्रतिशत) का प्रभुत्व था, जिससे पूंजीगत निवेश के लिए सीमित राजकोषीय विस्तार बचा। अकेली प्रतिबद्ध लागत ही राजस्व व्यय की 70 प्रतिशत थी। पूंजीगत व्यय अस्थिर बना रहा एवं बजट स्तर से नीचे रहा, जो अवसंरचना निवेश की बाधाओं को प्रतिबिम्बित करता है। सब्सिडी में हुई भारी वृद्धि, मुख्य रूप से विद्युत सब्सिडी व ऋण राहत उपायों के कारण हुई।

परिणामस्वरूप, राज्य उसके राजस्व घाटे (₹ 6,804.61 करोड़, सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.94 प्रतिशत) एवं राजकोषीय घाटे (₹ 12,611.05 करोड़, सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 5.44 प्रतिशत) को राज्य के राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के निर्धारित लक्ष्य सीमाओं के भीतर नहीं रख सका, जिससे राजकोषीय सुदृढ़ीकरण के लिए बहुत कम संभावना शेष रही। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में बकाया देयताएं 15वें वित्तायोग के लक्ष्यों व राज्य के बजट अनुमानों से बहुत अधिक रहीं, जिसे राज्य द्वारा दी गई गारंटी के माध्यम से उत्पन्न आकस्मिक देयताओं के संदर्भ में देखे जाने की भी आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 में सब्याज जमा/आरक्षित निधियों के अंतर्गत रखी शेष राशि के संबंध में चुकाई न गई देयताओं को भी आगे बढ़ा दिया।

बजटीय प्रबंधन एवं प्रतिवेदन के मुद्दे

लेखापरीक्षा ने उसके विभिन्न प्रतिवेदनों के माध्यम से पहले ही कर राजस्व बकाया की वसूली करने, कराधानों में अनुपालन जोखिमों को कम करने, राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में किए गए पूंजीगत निवेश को पुनर्चक्रित करने एवं राजस्व वृद्धि के अनुरूप व्यय का युक्तिकरण करने में राज्य द्वारा किए जाने वाले बढ़ते प्रयासों को रेखांकित किया।

राजस्व/पूंजीगत, प्रभारित व दत्तमत प्रभागों में बड़े पैमाने पर बचत एवं आधिक्य राजकोषीय वर्ष के दौरान भी लगातार जारी रहा। वित्त वर्ष 2024-25 में हुए व्यय आधिक्य को विधायिका द्वारा विनियमित कराना अपेक्षित है। उपयोगिता-प्रमाणपत्रों के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब, जिनमें से मुख्य रूप से स्थानीय निकायों (शहरी विकास विभाग व पंचायती राज संस्थानों), विभागीय उपक्रमों व स्वायत्त निकायों के लंबित प्रोफार्मा लेखाओं एवं व्यय के मानक उद्देश्य 20 (अन्य प्रभार) के अत्यधिक उपयोग से भी चिंताएं उत्पन्न होती हैं, जिनसे वित्तीय रिपोर्टिंग की पारदर्शिता प्रभावित होती है। दुग्ध उपकर, पर्यावरण उपकर तथा भवन एवं अन्य सन्निर्माण

कर्मकार कल्याण उपकर जैसी निधियों को सरकारी खाते से इतर रखा गया, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 266 के प्रावधानों का उल्लंघन है।

प्रतिवेदन में केंद्र प्रायोजित स्कीमों में निधियों की बेहतर निगरानी (ट्रैकिंग) के लिए एकल नोडल एजेंसी एवं एसएनए-स्पर्श के कार्यान्वयन जैसे सकारात्मक कदमों को कलमबद्ध किया गया है। हालांकि इन प्रणालियों में पूर्ण रूप से स्थानांतरित होना लंबित है।

निष्कर्ष एवं परिदृश्य

बढ़ता हुआ ऋण भार, उच्च प्रतिबद्ध व्यय एवं सीमित पूंजीगत निवेश राजकोषीय धारणीयता को लेकर चिंताएं उत्पन्न करते हैं। दीर्घकालिक राजकोषीय स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए राजस्व संवर्धन, व्यय पर बेहतर नियंत्रण तथा संरचनात्मक सुधारों की आवश्यकता है। मुख्य शीर्ष 800 व व्यय के मानक उद्देश्य–20 (अन्य प्रभार) के अंतर्गत व्यय बुक करने में पारदर्शिता बढ़ाई जाए तथा समयबद्ध लेखांकन एवं रिपोर्टिंग सुनिश्चित की जाए। अधिक विवेकपूर्ण बजट प्रावधान किए जाने हेतु आवश्यक कदम उठाए जाए।